

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

फूलचन्द वर्मा बनाम हनुमान वर्मा

वाद पत्र संख्या 35 / 2022

-0 -2022 वादी की ओर से एडवोकेट श्री केशव...  
... ने वाद पत्र अर्न्तगत धारा  
 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश  
 किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस  
 प्रतिवादीगण को जारी हो। पत्रावली दिनांक  
... को पेश हो।

सप्लाय  
 जमवारामगढ़, जिला-जयपुर

2/13/22

पत्रावली का हद...  
 22/3/22...  
 का पत्रावली पेश किया है

22/3/22 पत्रावली पेश हुई। (वकील)  
 प्रथी उपस्थित। आप पक्षों  
 की बहस सुनने व पत्रावली  
 का कैंदलोकान करने पर  
 प्रस्तुत की स्वीकार किया  
 जाता है तथा तहसीलदार  
 जमवारामगढ़ को निर्देश  
 दिए जाते हैं कि विदाई  
 अर्के रुकान 130 रुकना  
 0.9400 है, 145/131 रुकना  
 0.0700 है, कुल किता 2

P.T.O  
 सप्लाय  
 जमवारामगढ़, जिला-जयपुर


प्रपत्रा पत्रा- 35/2022

फूलचन्द कान्हा हनुमान को

कुल रकम 1.0100 हे भूमि वाफ  
हीरादाला पावरा हत्का रजपवात तहा  
अन्वारासागर मिला जम्पुर पर यरी किरा  
न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो  
उक्त भूमि की मुताबिक सीमाज्ञान के  
अनुसार पटपर गरी करना सुनिश्चित करे

आदेश की प्रति तहसीलदार अन्वारा  
को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाने

पत्रावली फौरन सुचारु होकर मम्दा  
ते करण हो। वाद प्रति कोरिल स्पतर  
निर्णय आज दिनांक 21/03/2022 को  
न्यायालय सुनाया गया

  
उपरोक्त अधिकारी  
अन्वारासागर, जिला-जयपुर